



# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उपरोक्त संस्था का उपक्रम)

ऊर्जा भवन, 220 क०वी० उपस०, आगरा, फ०स० वाईपास रोड, बिक्रम-दरा, आगरा (3020)  
फोन - 0562 2605699 फैक्स - 0562 2605485

उ० प्र० सरकार का उपक्रम

पत्रांक:- /प्र०नि०/आ०/का०अनु०/अन्य

दिनांक:- /नवम्बर/ 2018

## कार्यालय झाप

एतद्वारा निदेशित किया जाता है कि सभी वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाईयों को विद्युत संयोजन निर्गत करने से पूर्व संबन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यथावश्यक) प्राप्त करने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जाये। सामान्य प्रकरणों में निम्नलिखित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है:-

- 1 विद्युत सुरक्षा विभाग
- 2 अग्नि शमन विभाग
- 3 संबन्धित विकास प्राधिकरण
- 4 संबन्धित प्रदूषण नियन्त्रक प्राधिकारी
- 5 अन्य संबन्धित इकाई/विभाग

ताज ट्रिपिजियम जोन में यथाप्रभावी अनिवार्य शर्तों के अनुपालन अनुसार ही संबन्धित इकाईयों द्वारा विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना है।

यह भी निदेशित किया जाता है कि यथावश्यक प्रत्येक विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का ससमय सत्यापन संबन्धित विभाग के स्तर से कराया जाना अपेक्षित है।


यदि पूर्व में कोई वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाई को अथवा ताज ट्रिपिजियम क्षेत्र में किसी इकाई को विद्युत संयोजन प्रतिबन्धित शर्तों के अधीन (यथाप्रभावी) निर्गत किया गया है, तो निर्धारित समय अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त अथवा प्रतिबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में विभागीय नियम अनुसार निर्गत विद्युत संयोजन के विच्छेदन की कार्यवाही की जाये, ताकि किसी भी विद्युत दुर्घटना/विपरीत परिस्थिति से सुरक्षा संभव हो सकें।

## प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:- 13844/प्र०नि०/आ०/का०अनु०/अन्य तददिनांक 16/11/2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/वित्त/प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता (तकनीकी/वाणिज्य/सामग्री प्रबन्धन/प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), आगरा-प्रथम/द्वितीय/अलीगढ/कानपुर/झाँसी/बौदा।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल \_\_\_\_\_।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड \_\_\_\_\_।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(एस०के० वर्मा)  
प्रबन्ध निदेशक